N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0034 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 16/02/2025 16:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 12/02/2025 Date To (दिनांक तक): 14/02/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:00 बजे Time To (समय तक): 19:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/02/2025 Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 16/02/2025 16:50:38 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 60 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): LORDS INTERNATIONAL, T T COLLEGE, SADULPUR CHURU

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JEEVANRAM BIDASRA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KUMBHRAM JAAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/07/1983 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHANI BHOMPURA, TAHSIL BIDASAR DISTRICT, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHANI BHOMPURA, TAHSIL BIDASAR DISTRICT, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	UMMED SHARMA		पिता:SHUBHKRAN SHARMA	1. HAAL LIPIK LORDS INTERNATIONAL,COLLEGE SADULPUR,DISTRICT,CHURU, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	आरोपी से 20000 रुपये रिश्वत राशि बरामद की गई	20,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	I	20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू विषय - बी.एड. कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में। महोदय, निवेदन है कि मैं जीवनराम बिडासरा गांव ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर का निवासी हूं। मेरा पुत्र राकेश बिडासरा लार्डस इन्टरनेशनल टी.टी. कॉलेज सादुलपुर जिला चूरू से बी.एड. (प्रथम वर्ष) कर रहा है व रोजाना कॉलेज जाता है। राकेश ने मुझे 10-12 दिन पहले बताया कि कॉलेज के प्रिंसीपल परीक्षा का फार्म जमा नहीं कर रहे है व कह रहे है कि डॉनेशन देना होगा। इस पर मैं सादुलपुर कॉलेज में श्री उम्मेद जी शर्मा प्रिंसीपल से मिला व बात की तो उन्होने कहा कि राकेश की हाजरी कम है आपको 35-40 हजार रुपये डोनेशन देना होगा, तब मैं उसे परीक्षा में बिठाऊंगा। मैनें कहा साहब खेती-बाड़ी करने वाला आदमी हूँ। पांच-चार हजार रुपये की बात हो तो अलग है, वैसे भी राकेश रोज कॉलेज आता है तो हाजरी कम कैसे हो सकती है। इस पर उन्होनें कहा कि 35-40 हजार रुपये देते हो तो बात करो वरना चले जाओ, राकेश परीक्षा में नहीं बैठ सकता। दिनांक 09.02.2025 को उम्मेद जी ने मुझे फोन पर कहा कि आपको जो कहा था वो डोनेशन देते हो तो राकेश को परीक्षा में बैठा लूंगा, वरना परीक्षा से वंचित हो जायेगा। उम्मेद जी प्रिंसीपल साहब राकेश की हाजरी कम होना बताकर मुझसे नाजायज रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं उन्हें रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथ पकड़ाना चाहता हूँ। आप कानूनी कार्यवाही करें। सधन्यवाद दिनांकः- 12.02.2025 प्रार्थी एसडी जीवणराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू मो.न[redacted] कार्यवाही पुलिस आज दिनांक 12.02.2025 को समय 11.00 ए.एम. पर श्री जीवणराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी ढाणी भोमपुरा तह. बीदासर जिला चूरू ने एसीबी चौकी चूरू पर उपस्थित होकर उपरोक्त टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। परिवादी ने उक्त प्रार्थना-पत्र कम्प्यूटर से टाईप कराकर स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी जीवणराम ने दरियाफ्त पर बताया कि श्री उम्मेद शर्मा प्रिंसीपल लॉर्डस इन्टरनेशनल टी.टी. कॉलेज सादुलपुर से मेरा कोई उधार लेन देन नहीं होना व ना ही प्रिंसीपल से कोई रंजीश होना बताया एवं अपने पुत्र राकेश जो उक्त कॉलेज से बी.एड. प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है की उपस्थिति पुरी करने एवं परीक्षा फार्म जमा करने की एवज में 35-40 हजार रुपये रिश्वत की मांग प्रिंसीपल द्वारा करना बताया। परिवादी जीवणराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है परन्तु रिश्वत मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। सत्यापन उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी तदानुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाही पुलिस परिवादी को पढकर सुनाई गई। सुन समझ सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये एसडी जीवणराम एसडी शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो चूरू। परिवादी श्री जीवणराम को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पुछा तो परिवादी ने बताया कि श्री उम्मेद जी प्रिंसीपल मुझे आज सादुलपुर कॉलेज में मिल सकते है। जिनसे मैं रिश्वत मांगने बाबत् वार्ता कर सकता हूं। इस पर सरकारी वॉईस रिकॉर्डर (SONY कम्पनी) में नया मैमोरी कार्ड डालकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर जरिये फर्द ऑपरेट करने की विधि समझाते हुए सुपुर्द किया गया। चौकी के श्री राजकुमार कानि. 223 का परिवादी से परिचय कराकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु परिवादी व राजकुमार को सादुलपुर के लिये रवाना किया गया। दिनांक 12.02.2025 को वक्त 07.00 पीएम पर श्री राजकुमार कानि. ने उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन पर बताया कि उम्मेद शर्मा प्रिंसीपल हमें कॉलेज में नहीं मिला, काफी इंतजार के बाद भी कॉलेज में नहीं आया है। पूछने पर ज्ञात हुआ है कि वह कल सुबह ही कॉलेज आयेगा। इस पर कानि. को परिवादी सहित सादुलपुर रूकने व दिनांक 13.02.2015 को आरोपी के कॉलेज आने पर वार्ता करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 13.02.2025 को वक्त 03.00 पीएम पर श्री शब्बीर खां उप अधीक्षक पुलिस ने मन् महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष निर्देश दिये कि मैं राजकार्य हेतु बाहर हूं तथा कल दिनांक 12.02.2025 को परिवादी जीवणराम व कानि. राजकुमार को सादुलपुर रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बन्ध में भेजा था जिनके बाद सत्यापन चौकी हाजिर आने पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु कागजात कार्यालय से प्राप्त कर कार्यवाही करें। वक्त 04.00 पीएम पर परिवादी श्री जीवणराम व कानि. राजकुमार बाद सत्यापन हाजिर चौकी आये। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि कल दिनांक 12.02.2025 को श्री उम्मेद शर्मा प्रिंसीपल के कॉलेज में नहीं मिलने के कारण हम सादुलपुर ही रूक गये। परिवादी जीवणराम ने वॉईस

रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि आज दिनांक 13.02.2025 को मेरी प्रिंसीपल उम्मेद शर्मा से कॉलेज में रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता हुई जिसमें प्रिंसीपल ने दो साल की हाजरी पूर्ण कर प्रेक्टिकल परीक्षा में पास करवाने की एवज में पैंतीस हजार रुपये एवं एक वर्ष के लिये उक्त कार्य के लिये बीस हजार रुपये रिश्वत की मांग की है। मेरी व प्रिंसीपल की उक्त वार्ता को मेरे द्वारा वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी प्रिंसीपल द्वारा परिवादी के पुत्र राकेश की बी.एड. प्रथम वर्ष में हाजरी पूर्ण करने एवं परीक्षा फार्म जमा करने की एवज में बीस हजार रुपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। जिसकी परिवादी ने भी ताईद की। परिवादी जीवणराम व आरोपी उम्मेद शर्मा प्रिंसीपल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के वॉईस रिकॉर्डर को चौकी के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर परिवादी व कानि. राजकुमार के समक्ष सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई व उपरोक्त रिकॉर्ड वार्ता को श्री राकेश कुमार कानि. से दो डीवीडी में डाउनलोड करवाकर एक डीवीडी को कपड़े की एक थैली में सील्ड कर मार्क A-1 अंकित किया गया तथा एक डीवीडी को खुला रखा गया। वॉईस रिकॉर्ड से वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर मैमोरी कार्ड को उसके रेपर सहित कपड़े की एक थैली में सील्ड कर मार्क A अंकित कर दोनों पैकेट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये एचसी कृष्ण सिंह जमा मालखाना करवाये गये। परिवादी श्री जीवणराम ने बताया कि मेरे से रिश्वत में दिये जाने वाले राशि बीस हजार रुपये की ही व्यवस्था होगी। इस पर परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर दिनांक 14.02.2025 को 08.00 ए.एम. पर चौकी चूरू हाजिर आने के निर्देश देकर रूखसत दी गई। कार्यालय स्टाफ को भी सुबह परिवादी को दिये गये समय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 14.02.2025 को वक्त 08.30 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी जीवणराम हाजिर चौकी आया व मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि बीस हजार रुपये साथ लाया हूं। ट्रेप के आयोजन हेतु स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने हेतु श्री श्रवण कुमार कानि. 79 को संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार चूरू के नाम जारी तहरीर दी जाकर उक्त कार्यालय से 02 सरकारी कर्मचारी हमराह लाने हेतु रवाना कृषि विभाग चूरू जिस पर श्रवण कानि. कर्मचारी श्री भगत सिंह व मोती सिंह कृषि पर्यवेक्षक को हमराह लेकर हाजिर चौकी आया। आमदा दोनो सरकारी कर्मचारियों को परिवादी जीवणराम के द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों का परिवादी से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनों गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया। वक्त 10.40 एएम पर परिवादी जीवणराम ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले बीस हजार रूपये (पांच-पांच सौ के चालीस नोट) के नोट पेश किये जिनका विवरण इस प्रकार है – 1. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 2HS 800231, 2. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 7KA 379183, 3. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 8LW 090578, 4. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 9WV 981384, 5. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 1NU 416617, 6. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 8LR 542275, 7. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 9LE 851591, 8. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 0GD 030970, 9. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 1AC 128094, 10. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 2LS 004037, 11. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 2FG 228659, 12. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 2HL 223248, 13. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 8FB 972846, 14. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 9UT 595822, 15. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 1EM 381175, 16. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 6CW 342165, 17. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 2NN 858661, 18. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 6QR 669347, 19. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 9WA 190186, 20. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 2NH 963248, 21. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 7PD 901379, 22. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 8UD 960162, 23. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 8BQ 951157, 24. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 4NM 353767, 25. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 3UU 235473, 26. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 1RT 525645, 27. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 6RT 742995, 28. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 3DQ 294973, 29. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 8TK 006242, 30. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 5GK 315672, 31. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 0UM 023153, 32. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 1FH 053331, 33. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 4UC 149746, 34. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 6CV 492277, 35. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 1PN 862224, 36. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 7AD 953901, 37. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 5SB 304551, 38. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 9GF 879117, 39. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 8PB 131218, 40. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बर 2MN 716861, उपरोक्त सभी नोटों को अखबार पर रखवाकर श्री कृष्ण सिंह हैडकानि. 25 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। श्री जीवणराम की जामा तलाशी गवाह श्री मोती सिंह से लिवायी गई तो कोई आपतिजनक सामान नहीं पाया गया। उपरोक्त रिश्वत राशि को श्री जीवणराम के पहनी जींस जैकेट उपर की बांयी जेब में श्री कृष्ण सिंह से रखवाई गई। परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा करें। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथासम्भव

परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन व इस बीच होने वाली वार्ता को क्रमश देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात एक नया डिस्पोजेबल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री कृष्ण सिंह के हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व अखबार एवं डिस्पोजेबल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। श्री कृष्ण सिंह के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी को वापिस सुरक्षित चौकी में रखी गई। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी जीवणराम को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय के वॉईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर मेमोरी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर सुपूर्द किया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी का मोबाईल उनके पास रहने दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 11.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी जीवणराम, दोनों स्वतन्त्र गवाह भगत सिंह व मोती सिंह तथा चूरू चौकी का जाप्ता श्री गिरधारी सिंह उप निरीक्षक, आबिद खान एचसी, राकेश कुमार, श्रवण कुमार, रिपेन्द्र सिंह व राजकुमार कानिगण के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन मय चालक सुरेन्द्र सिंह व प्राईवेट वाहन सं. एचआर 19 जे 5685 मय चालक राजकुमार के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही रवाना सादुलपुर के लिए हुआ। श्री कृष्ण सिंह हैडकानि को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया। वक्त 12.35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, दोनां गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों के कस्बा सादुलपुर में मुख्य सड़क पर लॉर्डस इन्टरनेशनल टीटी कॉलेज के पास पहुंचा। गाडियों को साईड में खड़ा कर परिवादी जीवणराम को बाद आवश्यक हिदायत लॉर्डस इन्टरनेशनल टीटी कॉलेज में आरोपी से सम्पर्क करने रवाना किया गया। परिवादी के पीछे-पीछे राजकुमार कानि. को रवाना किया तथा गिरधारीसिंह उप निरीक्षक को प्राईवेट वाहन में हमराह श्री राकेश कुमार, रिपेन्द्रसिंह, श्रवण कुमार व गवाह भगतसिंह के साथ उक्त कॉलेज से आगे की तरफ जाकर मुकिम होने की हिदायत कर रवाना किया तथा मैं पुलिस निरीक्षक, गवाह मोतीसिंह, आबिद हैड कानि. सरकारी वाहन सहित मुख्य सड़क पर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। वक्त 12.50 पीएम पर राजकुमार कानि. ने परिवादी जीवणराम के ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत प्राप्त करने का ईशारा किया जिस पर मैं पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप दल सदस्य एवं गवाहान के लार्डस इन्टरनेशनल टीटी कॉलेज सादुलपुर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, जहां परिवादी जीवणराम खड़ा मिला जिसने बताया कि "कॉलेज के अन्दर प्रवेश करते ही नीचे तहखाने में उम्मेद जी शर्मा का ऑफिस है, मैं उनके पास गया तथा अपने पुत्र राकेश के परीक्षा में बैठने सम्बन्धी फार्म लेने के लिये बात की तो उम्मेद जी ने कहा कि पैसे लाये हो क्या, तो मैनें कहा मेरे पास एक साल के ही पैसे बने है तथा उम्मेद जी द्वारा मांगने पर मैनें अपनी जैकेट की जेब से 20000 रूपये निकाल कर उम्मेद जी को दिये जिन्होने रूपये लेकर गिनकर रख लिये तथा कहा कि अगली साल के 20000 रूपये अगली साल दे देना तथा फार्म पास वाले कक्ष में देने को कहा तो मैनें परीक्षा का फार्म पास वाले कमरे में बैठे एक व्यक्ति को दे दिया"। इस पर परिवादी जीवणराम को साथ लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार में प्रवेश कर बांयी तरफ बनी सीढीयों से नीचे तहखाने में आया। तहखाने में दाहीनी तरफ बने एक कैबिन में सिर पर टोपी लगाये बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यहीं उम्मेद जी है, जिन्होने मेरे से बीस हजार रूपये लिये है। जिस पर इस व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर इस व्यक्ति का परिचय पूछा तो इस व्यक्ति ने अपना नाम उम्मेद शर्मा पुत्र स्व. शुभकरण शर्मा निवासी राजगढ जिला चूरू हाल लिपिक लॉडर्स इन्टरनेशनल कॉलेज सादुलपुर बताया। उम्मेद शर्मा को परिवादी जीवणराम से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो उम्मेद शर्मा एकदम से घबरा गया एवं कहा कि जीवणराम को मैं नहीं जानता यह परसों दिनांक 12.02.2025 को मेरे पास कॉलेज में आया था तथा मेरे से पच्चीस हजार रूपये अपनी आवश्यकता होने पर मेरे से उधार लेकर गया था। आज यह मेरे पास आया तथा बीस हजार रूपये इसने मुझे वापिस दिये जिनको लेकर मैनें अपने पर्स में रख लिये, पर्स मेरी पेंट की जेब में है। हाजिर परिवादी जीवणराम ने स्वतः ही बताया कि उम्मेद जी झुठ बोल रहे है, जब यह मुझे जानते ही नहीं तो मुझे उधार क्यों देंगें। मैनें इनसे कभी कोई उधार रूपये नहीं लिये, उम्मेद जी ने मेरे पुत्र राकेश की बी.एड. प्रथम वर्ष में हाजरी कम होने पर परीक्षा फार्म लेने एवं प्रेक्टिकल में पास करवाने तथा इन्टर्नशीप पत्र देने के लिये कल दिनांक 13.02.2025 को दो वर्षों के लिये 35,000 रूपये व एक वर्ष के लिये 20,000 रूपये रिश्वत के मांगे थे। आज मैं राकेश का परीक्षा फार्म एवं 20,000 रूपये लेकर कॉलेज में आया तो उम्मेद जी ने 20,000 रूपये मांग कर रिश्वत के लिये तथा परीक्षा का फार्म पास के कमरे में देने की कही थी। यह 20,000 रूपये मैनें उम्मेद जी को रिश्वत के रूप में दिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर उम्मेद शर्मा लिपिक का दाहीना हाथ व बांया हाथ क्रमशः राजकुमार कानि. व गिरधारी सिंह उप निरीक्षक द्वारा कलाईयों से पकड़ लिये। दो डिस्पोजल साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री उम्मेद शर्मा लिपिक के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में

आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री उम्मेद शर्मा के बायें हाथ की अंगूलियों को ही डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर गवाह श्री भगतसिंह ने आरोपी उम्मेद शर्मा लिपिक के पहने कपड़ों की तलाशी ली तो पहनी जींस पेंट के पीछे की दाहीनी जेब में एक पर्स मिला, उक्त पर्स में पांच-पांच सौ रूपये के नोट पाये गये। उक्त नोटों को गिनकर गवाह ने 20,000 रूपये होना बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनों गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वही पाये गये। उपरोक्त 20,000 रूपयों के नोटों को खुले कपडे में सीब्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी उम्मेद शर्मा लिपिक के उक्त पर्स के बीच जहां रिश्वती राशि बरामद हुई है, के स्थान को सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में कपड़े के टुकड़े को डूबोकर पर्स को दो तीन बार पौंछकर कपड़े को वापिस गिलास में निचौड़ा गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। आरोपी श्री उम्मेद शर्मा का उक्त पर्स बरंग काला को कपड़े की एक थैली में सीब्ड कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर जब्त किया गया। पर्स के धोवन में प्रयुक्त कपड़े के टुकड़े को सुखाकर उस पर सम्बिन्धतों के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े को एक लिफाफे में सीब्ड कर मार्क P अंकित कर जब्त किया गया। आरोपी उम्मेद शर्मा लिपिक के पर्स में रिश्वती राशि के साथ एक पर्ची मिली जिस पर "श्री राम" लिखकर नीचे अंग्रेजी में "राकेश बिडासरा पुत्र जीवणराम बीदासर, लॉर्डस ऑन प्लस ऑन व ऑन/14.02.25 फर्स्ट ईयर" लिखा हुआ था। उक्त पर्ची को कागज पर चिपाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जब्त की गई। श्री उम्मेद शर्मा लिपिक ने पूछने पर बताया कि राकेश बिडासरा के पिता जीवणराम को मैनें फोन कर बताया कि राकेश नियमित रूप से कॉलेज में उपस्थित नहीं हो रहा है, इसलिए वह बीएड की परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। राकेश बिडासरा के कॉलेज में उपस्थिति बाबत प्रधानाचार्य के पास हाजरी रजिस्टर उपलब्ध है। इस पर बीएड कॉलेज के प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में श्री पंकज भार्गव लिपिक को बुलाकर पूछा गया तो उन्होनें राकेश बिडासरा के कॉलेज के उपस्थिति के माह अगस्त 2024 से माह जनवरी 2025 तक के प्रपत्र की पत्रावली पेश की। हाजरी प्रपत्रों का अवलोकन किया गया जिसमें दिनांक 22.08.2024 से 13.01.2025 तक राकेश बिडासरा की अधिकतर कॉलेज में उपस्थिति दर्ज है। उक्त उपस्थिति प्रपत्रों की छाया प्रतियां श्री पंकज भार्गव लिपिक को दी जाकर मूल प्रतियां वास्ते वजह सबूत अलग से जरिये फर्द जब्त की गई। श्री पंकज भार्गव ने पूछने पर बताया कि श्री उम्मेद शर्मा लॉर्डस इन्टरनेशल टीटी कॉलेज सादुलपुर में ही लिपिक पद पर कार्यरत है। हमारी बीएड कॉलेज में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 100 सीटे आंवटित की जाती है। बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों का इस वर्ष 2024-25 के लिये महावीर वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा जो राज्य सरकार की संस्था है, के द्वारा पीटीईटी परीक्षा द्वारा चयन कर राकेश बिडासरा को हमारी कॉलेज आवंटित की गई, जिस पर छात्र राकेश द्वारा ऑनलाईन निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कॉलेज में अपनी उपस्थिति दी जिस पर राकेश बिडासरा की दिनांक 14.08.2024 से कॉलेज आने पर प्रतिदिन उपस्थिति प्रपत्र में उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रथम वर्ष के बीएड छात्र के द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाईन विश्वविद्यालय में जमा करवाया जाता है तथा उक्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कॉलेज को आंवटित छात्रों की जमा राशि सम्बन्धित कॉलेज का दी जाती है। सम्बन्धित छात्र द्वारा ऑनलाईन विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाने के उपरान्त अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क कॉलेज का नहीं बनता है ना ही छात्र से लिया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही में आरोपी श्री उम्मेद शर्मा लिपिक से पूछताछ, हाथों धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी तथा परिवादी से पूछताछ का मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये वीडीयो कैमरा विडियो क्लीप तैयार करवाई गई। उक्त विडियों क्लिप को अलग से पैन ड्राईव में डाउनलोड किया गया तथा विडियो क्लिप का मूल मैमोरी कार्ड कैमरे से निकालकर कपड़े की थैली में सीब्ड कर मार्क-M अंकित कर पैकेट को जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वजह सबूत सीब्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर-24 की नमूना सील फर्द अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी जीवणराम व आरोपी उम्मेद शर्मा लिपिक के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये लैपटॉप सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की 02 डीवीडी तैयार की गई जिसमें से एक डीवीडी को कपडे की थैली में डालकर कर सीब्ड कर मार्क B-1अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक डीवीडी को खुला रखा गया। वॉईस रिकॉर्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड को उसके रैपर में डालकर कपडे की थैली में सीब्ड कर मार्क B अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी उम्मेद शर्मा लिपिक को हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। वजह सबूत सीब्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर 24 को गवाहन के समक्ष जरीये फर्द नष्ट किया गया। ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न कर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी जीवणराम, दोनों गवाह, ट्रेप दल सदस्य व गिरफ्तारशुदा अभियुक्त तथा ट्रेप कार्यवाही में जप्त वजह

सबूत हमराह लेकर जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर चौकी एसीबी चूरू पहुंचा। परिवादी व दोनों गवाहन को बाद आवश्यक निर्देश रूकसत दी गई। ट्रेप कार्यवाही में जप्त वजह सबूत को जरीये हैडकानि0 कृष्ण सिंह जमा मालखाना करवाये गए। उक्त ट्रेप में समय-समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी जीवणराम निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू का पुत्र राकेश बिडासरा लॉर्डस इन्टरनेशनल टीटी कॉलेज सादुलपुर में बी.एड. प्रथम वर्ष का छात्र है। आरोपी श्री उम्मेद शर्मा लिपिक लॉर्डस इन्टरनेशनल टीटी कॉलेज सादुलपुर द्वारा परिवादी जीवणराम से उसके पुत्र की बी.एड. में उपस्थिति कम होने के कहकर परीक्षा में बैठाने व परीक्षा का फॉर्म लेने की ऐवज में उम्मेद शर्मा लिपिक लॉर्डस इन्टरनेशनल टीटी कॉलेज सादुलपुर जिला चूरू द्वारा अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न छात्र की दो वर्ष की बीएड हेतु 35,000 रूपये एवं एक वर्ष की बीएड हेतु 20,000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 14.02.2025 को आरोपी उम्मेद शर्मा लिपिक द्वारा उक्त कॉलेज के अपने चैम्बर में 20,000 रूपये रिश्वत के मांग कर प्राप्त किये गए। आरोपी उम्मेद शर्मा लिपिक का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध गठित होना पाया जाता है। अतः श्री उम्मेद शर्मा पुत्र स्व. शुभकरण शर्मा उम्र 60 वर्ष जाति ब्राहाम्ण निवासी वार्ड नं. 24 मोहल्ला लुदीवास राजगढ जिला चूरू हाल लिपिक लॉडर्स इन्टरनेशनल कॉलेज सादुलपुर जिला चूरू के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (महेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू .... कार्यवाही पुलिस ....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो चुरू, ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री उम्मेद शर्मा पुत्र स्व. शुभकरण शर्मा उम्र 60 वर्ष जाति ब्राहाम्ण निवासी वार्ड नं. 24 मोहल्ला लुदीवास राजगढ जिला चूरू हाल लिपिक लॉडर्स इन्टरनेशनल टी टी कॉलेज सादुलपुर जिला चूरू के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो हनुमानगढ़ को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 259 पर अंकित है । (ज्ञानसिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर । क्रमांक 170-73 दिनांक 16.02.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जयपुर-तृतीय, 3. प्राचार्य लॉर्डस इन्टरनेशनल टी.टी. कॉलेज सादुलपुर जिला चुरू, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो चुरू। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJENDRASINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]2/2025 1[illegible]3

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	16/04/1964				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)